



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

9 अग्रहायण , 1943 (श०)

संख्या-586 राँची, मंगलवार,

30 नवम्बर, 2021 (ई०)

उद्योग विभाग

अधिसूचना

23 नवम्बर, 2021

विषय: उद्योग विभाग के अधीन हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय अंतर्गत झारखण्ड राज्य हस्तकरघा तकनीकी संवर्ग नियमावली, 2013 में संशोधन के संबंध में।

संख्या--01/ह०रे०ह०नि०/नियमावली-68/2021-1166--"भारत की संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल, झारखण्ड, राज्य के उद्योग विभाग के अधीन हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय अन्तर्गत गठित झारखण्ड राज्य हस्तकरघा तकनीकी संवर्ग नियमावली, 2013 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियमावली गठित करते हैं-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ:-

- I. यह नियमावली झारखण्ड राज्य हस्तकरघा तकनीकी संवर्ग (संशोधित) नियमावली, 2021 कहलाएगी।
- II. इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
- III. यह नियमावली झारखण्ड गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. झारखण्ड राज्य हस्तकरघा तकनीकी संवर्ग नियमावली, 2013 के अध्याय-3 (क) (2) (i) में निम्नलिखित प्रावधान है:-

(i) "शैक्षणिक योग्यता-किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी०एस०सी० सिल्क टेक० की डिग्री/बी०टेक० (टेक्सटाईल)/पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हैण्डलूम टेक्नोलॉजी ।"

को निम्नवत् प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है:-

i. "न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता-अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बी०एस०सी० सिल्क टेक० की डिग्री/बी०टेक० (टेक्सटाईल)/पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हैण्डलूम टेक्नोलॉजी उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा ।"

उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक/10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा ।

परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा ।

3. झारखण्ड राज्य हस्तकरघा तकनीकी संवर्ग नियमावली, 2013 के अध्याय-3 (ख) (2) (i) में निम्नलिखित प्रावधान है:-

(i). शैक्षणिक योग्यता-मैट्रिक एवं बुनकर प्रशिक्षण केन्द्रों से एक वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स उत्तीर्ण ।

को निम्नवत् प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है:-

i. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता-अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक/10वीं के साथ बुनकर प्रशिक्षण केन्द्रों से एक वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स उत्तीर्ण होना तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा ।

परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा ।

4. झारखण्ड राज्य हस्तकरघा तकनीकी संवर्ग नियमावली, 2013 (अधिसूचना सं०-1734 दिनांक 11.09.2013) के अन्य प्रावधान हू-ब-हू लागू रहेंगे एवं इस नियमावली के प्रावधान उक्त नियमावली के साथ संशोधित रूप में अध्यारोही प्रभाव (overriding effects) के साथ लागू होंगे ।

5. विभागीय संलेख ज्ञापांक-1116 दिनांक-12.11.2021 द्वारा झारखण्ड राज्य हस्तकरघा तकनीकी संवर्ग (संशोधित) नियमावली, 2021 के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की दिनांक-12.11.2021 को सम्पन्न बैठक में मद संख्या-34 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

पूजा सिंघल,
सरकार के सचिव ।
